

महत्वपूर्ण/विशेष ध्यानाकर्षण

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2021/2020

लखनऊ:दिनांक- 16/07/2021

विषय:- सत्र 2021-22 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या प्राशिप/परिषद/2021/1636 दिनांक 01-07-2021 एवं प्राशिप/परिषद/2021/1816 दिनांक 08-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्धता विस्तार संबंधी आवेदन यू0राईज पोर्टल के माध्यम से अंतिम तिथि दिनांक 10-07-2021 निर्धारित करते हुए प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्गत संशोधित शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुक्रम में सत्र 2021-22 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में परिषद को आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 20-7-2021 निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20-07-2021 तक प्रत्येक दशा में यू0-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र संलग्न करना सुनिश्चित करें। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ऑनलाइन किये गये आवेदन की हार्डकॉपी/प्रिंट आउट, ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र एवं रू0 15000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट परिषद कार्यालय में जमा किया जाएगा।

उपरोक्त अंतिम तिथि दिनांक 20-7-2021 के उपरांत किसी भी दशा में तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा, एवं उक्त तिथि तक आवेदन न करने पर संबंधित संस्था को सत्र 2021-22 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद/2021/2021-25

तददिनांक- 16/07/2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उ0प्र0, कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. नोडल अधिकारी, यू0राईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव